

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 19.06.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी।

-नशीले पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 19.06.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्त- जितेन्द्र पुत्र पन्ना लाल निवासी काशीराम कालौनी अभियुक्त के कब्जे से 100 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-302/17,धारा-8/22 नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 19.06.2017 को थाना बिवार पुलिस द्वारा अभियुक्त- बब्बू पुत्र लल्लू निवासी छानि खुर्द को 01अदद नाजायज तमंचा 315बोर, 02 अदद कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-113/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

शान्तिभंग की आशंका मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार-

-थाना मुस्करा पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना चिकासी पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना मौदहा पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना ललपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना जरिया पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 20.06.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 19.06.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना,तीन सवारी,अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी।चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 22 वाहनो से 5400 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया।